


21³/22

आज यह पत्रावली हमारे समक्षवाले निर्णय पत्र पर पत्र 07 निम्न-॥ जा.पी. पैथ की गर। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के वक्तुमाप उपर 07 प्राप्त-पत्र आदेश 07 निम्न ॥ श्वारिज किया जाता है। विलुप्त निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया।

पत्रावली में अध्ययन उपर सामने आया की वादी दाय मौजूदा बाद में वादी दाय अपनी खरीद धुड़ा प्लार लेंडलेक संवाधित शान्त के बावत लिखे गए इकराशनामा के आधार पर अनुगेष-थाह गया है। जो राजाब-थापालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होकर दिग्विल-थापालय के अधिकार क्षेत्र में है। त्रिस खरत में यह वाद इस-थापालय में चलने योग्य नहीं होने के कारण श्वारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दारिल दफतर है।


उपसभ अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज0